**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1109**

**8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ**

**कोयले से संचालित विद्युत गृह**

**1109. श्री अभिषेक बनर्जी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कोयले की मात्रा, स्रोतों और संबंधित प्रवृत्ति सहित इसके आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय मानदंडों और पर्यावरणीय अनुपालन पर बल देते हुए कोयला आधारित विद्युत गृहों के लिए विद्यमान ऋण मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला क्षेत्र में विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) के लिए प्रमुख निबंधन और शर्तों सहित वर्तमान ढांचे का बयौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में कोयला आधारित उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए क्या कार्य-नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों और आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(सभी आंकड़े मिलियन टन में)

| | **आयातित कोयले की प्राप्ति** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **अवधि** | **घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात (सम्मिश्रण के लिए)** | **आयातित कोयला आधारित संयंत्र द्वारा आयात** | **कुल आयात** | **% वृद्धि** |
| 2018-19 | 21.4 | 40.3 | 61.7 | - |
| 2019-20 | 23.8 | 45.5 | 69.2 | 12.3% |
| 2020-21 | 10.4 | 35.1 | 45.5 | -34.3% |
| 2021-22 | 8.1 | 18.9 | 27.0 | -40.6% |
| 2022-23 | 35.1 | 20.5 | 55.6 | 106.1% |
| 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) | 17.1 | 29.5 | 46.6 | 3.9%* |

* इस वृद्धि की तुलना वर्ष 2022-23 की इसी अवधि से की गई है।

[अवधि के दौरान: अप्रैल-दिसंबर (2022-23), कुल आयात 44.8 मीट्रिक टन था [घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात (सम्मिश्रण के लिए): 28.8 मीट्रिक टन + आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात: 16.0 मीट्रिक टन]

घरेलू कोयले पर डिज़ाइन किए गए विद्युत संयंत्र सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले का उपयोग करते हैं जबकि आयातित कोयले पर डिज़ाइन किए गए विद्युत संयंत्र अपनी ईंधन आवश्यकता के लिए कोयले का आयात करते हैं।

चूँकि कोयला ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है, विद्युत संयंत्र अपनी प्राथमिकता और अपनी व्यावसायिक विवेकशीलता के आधार पर स्रोत के अनुसार कोयले का आयात करते हैं।

**(ख) :** वित्तीय संस्थान विवेकपूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए कोयला-आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए विशिष्ट ऋण संबंधी मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानदंडों में अधिकतम ऋण के साथ समुचित पूंजीगत संरचना बनाए रखना: 80:20 का इक्विटी अनुपात और आंतरिक रिटर्न दर (आईआरआर) और ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) जैसे स्वीकार्य वित्तीय अनुपात शामिल हैं। निधियाँ आमतौर पर ऋणदाताओं के संघ द्वारा प्रदान की जाती है और ऋण चुकौती अवधि परियोजना के आर्थिक कार्यकाल के 80% तक सीमित है।

इसके साथ-साथ, पर्यावरण अनुपालन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य जैसे संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और संभावित प्रदूषण प्रभाव के साथ-साथ कोयला लिंकेज, जल आवंटन और चिमनी की ऊंचाई के लिए विमानन संबंधी मंजूरी से संबंधित अन्य वैधानिक मंजूरियों जैसे कारकों पर विचार करते हुए, परियोजनाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। इन शर्तों और दस्तावेज़ीकरण के पूर्ण अनुपालन पर ही निधियाँ संवितरित की जाती हैं।

**(ग) :** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत विद्युत क्रय करार (पीपीए) विद्युत की खरीद के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल पीपीए द्वारा निर्देशित होते हैं। मॉडल पीपीए में, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून में बदलाव, अप्रत्याशित घटना, टैरिफ, कार्यनिष्पादन सुरक्षा, चूक होने के परिणाम, भुगतान सुरक्षा तंत्र आदि के प्रावधान हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के लिए निम्नलिखित रूपरेखा जारी की है:

1. एफओओ (वित्त, स्वामित्व और प्रचालन)
2. डीबीएफओओ (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन)
3. डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण)

**(घ) :** राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2031-32 तक कुल अनुमानित तापविद्युत क्षमता वृद्धि 93380 मेगावाट होगी। वर्तमान में, 26380 मेगावाट की तापविद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, 11960 मेगावाट की बोली लगाई जा चुकी है और 19050 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। इस क्षमता के जुड़ने से वर्ष 2031-32 में संस्थापित तापविद्युत क्षमता 283000 मेगावाट हो जाएगी।

**********